न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, धोद, मु. सीकर

किस्म मुकदमा _____ बनाम _____ वर्ष _____

मु. नं.

दिनांक	आज्ञा पत्र
12/7/19	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। कायम मुकाम आवेदन के जवाब में पत्रावली लम्बित है। पूर्व में कायम मुकाम आवेदक जवाब हेतु अग्रीम अभिभाषक को अवसर दिया गया था। अभिभाषक तक जवाब पेश नहीं किया है। अतः उक्त आवेदन बाबत कायम मुकाम के जवाब बाद दिन पाबन्द पत्रावली वास्ते बहस कायम मुकाम आवेदन दिनांक 23/7/19 को पेश हो।
23/7/19	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। बहस हेतु अवसर चाहा। अतः अवसर दिया पाबन्द पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 14/10/19 को पेश हो।
14/9/19	पत्रावली आज मूल वाद प्रार्थिका अभिभाषक कि ओर से आवेदन मिसल तलबी पेश होने पर पेशी में ली गई। उपस्थित प्रार्थिका अभिभाषक ने आवेदन पर बाबत वादी/प्रार्थिका का आवेदन विद्रा किये जाने पेश कर निवेदन किया कि उभयपक्ष के बीच राजीनामा हो चुका है प्रार्थिका उपरान्त बहस आवेदन धारा 2/2 दा० का० नहीं चलाना चाहते है अतः प्रार्थिका का आवेदन भी खारिज विद्रा किया जावें। उपस्थित प्रार्थिका अभिभाषक को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया व समस्त पत्रावली अवलोकन पर प्रस्तुत उक्त आवेदन का भी अवलोकन किया। चूंकि मूल वाद भी वादीगण के निवेदन पर विद्रा कर फैसला किया जा चुका है। अतः उपरोक्त पत्रावली भी प्रार्थिका अभिभाषक के निवेदन पर विद्रा की जाती है। पत्रावली के आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः पत्रावली फैसला शुदा होने बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

प्रार्थी अपने आवेदन को आगे नहीं चलाना चाहते है। हे० रसिंह

N.D. Bun.

नकी सं० 12 तारीख तामील

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट धोद मु. सीकर

Web Copy Not Official

Scanned with CamScanner